19.4.22 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वकील अपीलार्थी हाजिर। वकील वादी को दिनांक 4.4.22 को अपीलार्थी की बहस पेश करने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु वकील वादी आज भी अपनी बहस प्रस्तुत नहीं की है। वकील वादी को अपनी दलीलें प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण दलीलों के आधार पे खारिज करने के निर्देश दिये जाने के बाद भी अपीलार्थी दलीलें पेश नहीं किए। अतः वादी का वाद दलीलों के आधार पे प्रकरण खारिज किया जाता है। पत्रावली मौजूदा शुमार होकर वाद तामील वकील के दायित्व पर है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner